बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

हस्तपुस्तिका

कार्यालय पता

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नियोजन भवन, पटना - 800001, दूरभाष - 0612-2525558

website-www.bocw.bihar.gov.in

सुरेन्द्र राम
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग

संदेश

यह अपार हर्ष का विषय है कि श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा निर्माण श्रमिकों के लिए किये जा रहे कार्यों से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हस्तपुस्तिका तैयार किया गया है।

इस पुस्तिका में बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अन्तर्गत निर्माण श्रमिकों के निबंधन, नवीकरण तथा योजनाओं के बारे में आवश्यक जानकारियाँ दी गयी हैं। इसके अतिरिक्त बोर्ड के क्रियाकलापों को बहुत ही सरल रूप से समेकित करते हुए इसकी सूचना अंकित की गयी है। इससे निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन कराने तथा योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

इस हस्तपुस्तिका को तैयार करने में विभाग के प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष (बोर्ड) तथा सचिव (बोर्ड) के साथ-साथ सभी संबंधित पदाधिकारियों/ कर्मियों का योगदान सराहनीय है।

सुरेन्द्र राम

सुरेन्द्र राम
मंत्री
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

डॉ बी0 राजेन्दर
प्रधान सचिव -सह-अध्यक्ष (बोर्ड),
श्रम संसाधन विभाग

प्रस्तावना

श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के द्वारा राज्य के निर्माण श्रमिकों के हितार्थ अनेक योजनाओं का संचालन किया जाता है, जिसके लिए कोष की व्यवस्था विभिन्न निर्माण प्रतिष्ठानों से प्राप्त उपकर से की जाती है।

बोर्ड से संबंधित हस्तपुस्तिका के उपलब्ध होने से निर्माण श्रमिकों को बोर्ड के अन्तर्गत निबंधन तथा विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहूलियत होगी।

यह हस्तपुस्तिका विभागीय अधिकारियों के लिए एक मार्गदर्शिका के रूप में भी कार्य करेगा, जिसे समय-समय पर अद्यतन भी किया जाएगा।

बोर्ड के हस्तपुस्तिका को निष्ठापूर्वक तैयार करने में सभी पदाधिकारीगण एवं कर्मीगण बधाई के पात्र हैं।

डॉ0 बी0 राजेन्दर
प्रधान सचिव -सह- अध्यक्ष (बोर्ड)
श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

परिचय - देश के निर्माण एवं प्रगति में निर्माण श्रमिकों का अहम् योगदान है। यद्यपि निर्माण कार्यों में संलग्न श्रमिक कई श्रम कानूनों से आच्छादित हैं, परन्तु इनके लिए विशेष श्रम कानूनों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा दो श्रम कानून बनाये गये:-

1. भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996
2. भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996

राज्य सरकार द्वारा उपरोक्त प्रथम कानून को लागू करने के लिये, "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) नियमावली, 2005" एवं "बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) (संशोधन) नियमावली, 2016" अधिसूचित किया गया है । द्वितीय अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमावली केन्द्र सरकार द्वारा ही बनाया गया है ।

क्रियान्वयन - निर्माण मजदूरों की कार्यदशाओं में सुधार करने, स्वास्थ्य व सुरक्षा उपलब्ध कराने तथा कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित करने के उद्देश्य से उपरोक्त कानूनों मे समुचित प्रावधान किये गये हैं। इनके क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न श्रमिक संगठनों तथा नियोजक संगठनों के माध्यम से सुझाव प्राप्त करते हुए अनेक हितकारी कार्य किये जाते हैं।

निर्माण श्रमिक

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 2(d) में भवन तथा अन्य सन्निर्माण कार्यों को परिभाषित किया गया है, जिसमें उक्त अधिनियम की धारा 2(e) के अनुसार निर्माण कामगार - कुशल, अर्द्धकुशल, अकुशल श्रमिक के रूप में शारीरिक, पर्यवेक्षण, तकनीकी अथवा लिपिकीय कार्य वेतन या पारिश्रमिक के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति शामिल हैं, किन्तु प्रबंधकीय या प्रशासकीय हैसियत में नियोजित व्यक्ति इसमें सम्मिलित नहीं है।

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य में संलग्न श्रमिकों की सूची

क्र0 सं0	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य	क्र0 सं0	भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्य
1	भवन एवं सड़क निर्माण कार्य में संलग्न अकुशल कोटि के कामगार	11	कंक्रीट मिश्रण करने वाले, कंक्रीट मिक्सर मशीन चलाने वाले तथा कंक्रीट मिक्स ढोने वाले
2	राज मिस्त्री	12	सीमेन्ट, गारा मिक्स ढोने वाली महिला कामगार (रेजा)।
3	राज मिस्त्री का हेल्पर	13	रौलर चालक
4	बढ़ई	14	सड़क, पुल एवं बांध निर्माण कार्य में लगे मजदूर
5	लोहार	15	सड़क, पुल, बांध, भवन निर्माण कार्य में विभिन्न आधुनिक यंत्रों को चलाने वाले मजदूर
6	पेंटर	16	बांध, पुल, सड़क या भवन निर्माण कार्य में लगे चौकीदार
7	भवन में बिजली एवं संलग्न कार्य करने वाले इलेक्ट्रिशियन	17	भवन निर्माण में जल प्रबंधन का कार्य करने वाले प्लम्बर, फीटर आदि
8	भवन में फर्श / फ्लोर टाइल्स का कार्य करने वाले मिस्त्री तथा उसके सहायक	18	ईंट निर्माण एवं पत्थर तोड़ने के कार्य में लगे मजदूर
9	सेंट्रिग एवं लोहा बांधने का कार्य करने वाले	19	रेलवे, टेलीफोन, हवाई अड्डा इत्यादि के निर्माण में लगे अकुशल अस्थायी कामगार
10	गेट, ग्रिल एवं वेल्डिंग का कार्य करने वाले	20	मनरेगा कार्य में संलग्न मजदूर (बागवानी एवं वानिकी को छोड़कर)

उपरोक्त सभी कार्य दृष्टांतयुक्त हैं। इसमें बढ़ोत्तरी हो सकती है।

- कारखाना अधिनियम, 1948 एवं खान अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत कार्यरत श्रमिक इसमें शामिल नहीं हैं।

• निर्माण श्रमिकों का निबंधन -

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से संचालित विभिन्न योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु निर्माण श्रमिकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन कराना एवं बोर्ड का सदस्य रहना आवश्यक है। निबंधन के पश्चात् ही उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता / अनुदान प्रदान की जा सकती है।

- **निबंधन के लिए योग्यता** - वैसे निर्माण कामगार जो 18 वर्ष की आयु का हों लेकिन 60 वर्ष पूर्ण नहीं किये हों कल्याण बोर्ड के सदस्य बन सकते हैं।
- **निबंधन शुल्क** - प्रत्येक निर्माण श्रमिकों को बोर्ड में निबंधन हेत निबंधन शुल्क ₹20/- (रूपये बीस) निर्धारित है। मासिक अंशदान 50 पैसे प्रति माह के दर से एकमुश्त 5 वर्ष के लिए निबंधन के समय ₹30/- (रूपये तीस) अर्थात् निबंधन एवं अंशदान शुल्क एकमुश्त ₹50/- (रूपये पचास) देय है।
- निर्माण श्रमिक, जिनका निबंधन हेतु आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है, वे 30 दिनों के अन्दर अपने क्षेत्र के सहायक श्रमायुक्त के समक्ष अपील कर सकते हैं।

• निबंधित श्रमिकों का नवीकरण -

पाँच वर्षों के बाद श्रमिक को पुनः नवीकरण करवाना होगा। अंशदान समय से जमा नहीं करने पर सदस्यता समाप्त हो जाएगी।

यदि निबंधित निर्माण श्रमिक की सदस्यता समाप्त हो गयी है, तो इसे निबंधन पदाधिकारी के द्वारा पुनर्जीवित किया जा सकता है, बशर्ते कि निर्माण श्रमिक टूट की अवधि का बकाया अंशदान 50 पैसे प्रति माह की दर से बोर्ड के कोष में जमा कर दे, परन्तु इस प्रकार सदस्यता दो बार से अधिक पुनर्जीवित नहीं किया जायेगा।

निबंधन, नवीकरण तथा योजनाओं हेतु आवेदन की प्रक्रिया -

- **निबंधन** - बोर्ड में निबधंन हेतु निर्माण श्रमिक द्वारा बोर्ड के पोर्टल www.bocw.bihar.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
  - **आवश्यक कागजात** - (i) आधार कार्ड, (ii) बैंक पासबुक, (iii) रंगीन नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ (iv) आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र अथवा उक्त अवधि में 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्व-घोषणा पत्र तथा राशन कार्ड (स्वैच्छिक)।
  - **शुल्क** - निर्धारित शुल्क ₹50/- (निबंधन शुल्क ₹20/- तथा पाँच वर्षों हेतु नवीकरण अंशदान ₹30/-) Payment Gateway के माध्यम से जमा किया जाता है।

- **नवीकरण -** बोर्ड में निबंधित वैसे निर्माण कामगार, जिनके निबंधन की अवधि समाप्त हो जाती है अथवा होनेवाली है, आवेदन की तिथि से एक वर्ष पूर्व में नियोजक द्वारा निर्गत 90 दिन कार्य करने का प्रमाण पत्र अथवा उक्त अवधि में 90 दिनों के कार्य करने से संबंधित स्व-घोषणा पत्र बोर्ड के पोर्टल www.bocw.bihar. gov.in पर दर्ज करते हुए नवीकरण कर सकते हैं।

अंशदान - आवेदन के समय निर्धारित अंशदान (पचास पैसे प्रति माह की दर से) Payment Gate-way के माध्यम से जमा करते हुए अधिकतम पाँच वर्षों के लिए निबंधन का नवीकरण करा सकते हैं।

- **योजनाओं हेतु आवेदन -** बोर्ड में निबंधित योग्य निर्माण श्रमिक/ आश्रित/ नामित व्यक्ति बोर्ड में संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु योजना से संबंधित कागजात बोर्ड के पोर्टल www.bocw.bihar. gov.in पर अपलोड कर आवेदन कर सकते हैं।

श्रम अधीक्षक द्वारा रूपये ₹50,000/ तक की योजनाओं तथा उप श्रमायुक्त द्वारा रूपये ₹50,000/- से अधिक की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करते हुए लाभुकों को बैंक खाते में DBT के माध्यम से राशि अन्तरित की जाती है।

कल्याणकारी योजनाएँ

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा कई कल्याणकारी योजनाएँ संचालित हैं। बोर्ड के अन्तर्गत संचालित योजनाएँ, योग्यता एवं योजनाओं के लाभ हेतु आवश्यक कागजात की विवरणी निम्नवत है:-

विवाह के लिए वित्तीय सहायता

- **योग्यता -** (i) तीन वर्ष की सदस्यता
  (ii) दो व्यस्क पुत्री अथवा स्वयं निबंधित महिला सदस्य के विवाह के उपरान्त। दूसरी शादी करने वाले श्रमिक इस योजना के हकदार नहीं हैं ।
- **योजना की राशि -** ₹50000/- (पचास हजार)
  यह अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अतिरिक्त है।
- **आवश्यक कागजात-**
  (i) विवाह निबंधन प्रमाण-पत्र
  (ii) वर एवं वधु का आधार कार्ड
  (iii) विवाह का फोटो एवं निमंत्रण/आमंत्रण पत्र

मातृत्व लाभ

- **योग्यता -** न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता तथा प्रथम दो प्रसवों के लिए।
- **योजना की राशि -** प्रसव की तिथि को राज्य सरकार द्वारा अकुशल कामगार हेतु निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के 90 दिनों के मजदूरी के समतुल्य राशि।
  यह अनुदान स्वास्थ्य, समाज कल्याण एवं अन्य विभागों के अतिरिक्त है।
- **आवश्यक कागजात -**
  (i) शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल द्वारा निर्गत प्रसव प्रमाण पत्र
  (ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शिशु का प्रथम टीकाकरण प्रमाण-पत्र।

पितृत्व लाभ

- **योग्यता -** (i) न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता
  (ii) पत्नी बोर्ड में निबंधित नहीं हो
  (iii) पत्नी के प्रथम दो प्रसवों के लिए
- **योजना की राशि -** ₹6,000/- (रूपये छः हजार) प्रति प्रसव
- **आवश्यक कागजात -**
  (i) शिशु का जन्म प्रमाण-पत्र/अस्पताल द्वारा निर्गत प्रसव प्रमाण-पत्र
  (ii) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शिशु का प्रथम टीकाकरण प्रमाण-पत्र
  (iii) पत्नी के बोर्ड में निबंधित नहीं होने के संबंध में स्व-शपथ पत्र एवं पत्नी के आधार

शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता

- **योग्यता -** (i) न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता
  (ii) निबंधित निर्माण कामगारों के पुत्र एवं पुत्री के लिए
- **योजना की राशि -**

  (i) आई. आई. टी. / आई. आई. एम. तथा एम्स आदि जैसे सरकारी उत्कृष्ट संस्थानों में दाखिला होने पर पूरा ट्यूशन फीस।

  (ii) बी.टेक / समकक्ष कोर्स के लिए सरकारी संस्थान में दाखिला होने पर एकमुश्त ₹20,000/- (रूपये बीस हजार)।

  (iii) सरकारी पॉलिटेकनिक / नर्सिंग या समकक्ष डिप्लोमा कोर्स के अध्यन के लिए एकमुश्त ₹10,000/- (रूपये दस हजार)।

  (iv) सरकारी आई.टी.आई. या समकक्ष के लिए एकमुश्त ₹5,000/- (रूपये पाँच हजार)।
- **आवश्यक कागजात**
  (i) पुत्र/पुत्री के नामांकन से संबंधित प्रमाण-पत्र।
  (ii) शिक्षण संस्थान द्वारा नामांकन/शिक्षण शुल्क का रसीद।

नकद पुरस्कार

- **योग्यता-**
  - (1) न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता ।
  - (ii) निबंधित निर्माण कामगारों के अधिकतम दो संतानों के लिए।
  - (iii) प्रति वर्ष बिहार राज्य के अधीन किसी भी बोर्ड द्वारा संचालित दसवीं एवं बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण होने पर।
- **योजना की राशि -** उक्त परीक्षा में 80% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने पर पच्चीस हजार, 70% से 79.99% अंक प्राप्त करने पर पन्द्रह हजार तथा 60% से 69.99% अंक प्राप्त करने पर दस हजार का लाभ प्रदान किया जाएगा।
- **आवश्यक कागजात -**
  - (i) मैट्रीक अथवा इन्टरमिडिएट / 10+2 के अंक पत्र ।
  - (ii) औपबंधिक प्रमाण-पत्र की प्रति।

वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना

- **योग्यता -** सदस्यता ।
- **योजना की राशि -** ₹3,000/- (रूपये तीन हजार) प्रतिवर्ष ।

नोट:- इस योजना की राशि का भुगतान बोर्ड मुख्यालय स्तर से DBT के माध्यम से किया जाता है।

भवन मरम्मती अनुदान योजना

- **योग्यता -** तीन वर्षों की सदस्यता । -
- **योजना की राशि -** अधिकतम ₹20,000/- (रूपये बीस हजार) एक बार। जिन्हें पूर्व में 'भवन निर्माण / साईकिल एवं औजार योजना' के अन्तर्गत लाभ प्राप्त हो चुका है उन्हें यह लाभ नहीं दिया जायेगा।
- **आवश्यक कागजात -**
  - (i) जमीन का स्वामित्व प्रमाण-पत्र (LPC)
  - (ii) जमीन का वर्त्तमान (Current) रसीद
  - (iii) आवेदक के साथ मरम्मती वाले मकान का फोटो

साईकिल क्रय योजना

- **योग्यता -** न्यूनतम एक वर्ष की सदस्यता
- **योजना की राशि -** साईकिल क्रय करने के उपरान्त अधिकतम ₹3,500/- (रूपये तीन हजार पांच सौ)।
- **आवश्यक कागजात**

  (i) क्रय की गयी साईकिल की GST युक्त रसीद ।

  (ii) आवेदक के साथ साईकिल का फोटो।

औजार क्रय योजना

- **योग्यता -** (i) एक वर्ष की सदस्यता ।

  (ii) कौशल उन्नयन के लिए प्रशिक्षित।
- **योजना का लाभ -** प्रशिक्षण से संबंधित व्यवसाय के अधिकतम ₹15,000/- (रूपये पन्द्रह हजार) का औजार
- **आवश्यक कागजात -** बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के माध्यम से कौशल उन्नयन से संबंधित दिये जाने वाले प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र।

लाभार्थी को चिकित्सा सहायता

- **योग्यता -** सदस्यता।
- **योजना का राशि -** असाध्य रोग के चिकित्सा के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार के द्वारा निर्धारित राशि के समतुल्य चिकित्सा सहायता, बशर्ते मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से सहायता प्राप्त नहीं किया हो।
- **आवश्यक कागजात -**

(i) चिकित्सा के संबंध में सिविल-सर्जन का प्रमाण-पत्र।

(ii) चिकित्सा पर किये गये व्यय का रसीद ।

(iii) मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से लाभ नहीं लेने का शपथ पत्र ।

पेंशन

- योग्यता- (i) न्यूनतम पाँच वर्ष की सदस्यता ।

  (ii) 60 वर्ष की आयु के पश्चात्।
- **योजना की राशि -** ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह, बशर्ते कि अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन का लाभ न मिला हो।
- **आवश्यक कागजात-**

  (i) सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन से आच्छादित नहीं होने का प्रमाण-पत्र।

  (ii) जीवन प्रमाण-पत्र।

मृत्यु लाभ

- **योग्यता** - सदस्यता ।
- **योजना की राशि** -

  (i) स्वाभाविक मृत्यु में ₹2,00,000/- (रूपये दो लाख)

  (ii) दुर्घटना मृत्यु में ₹4,00,000/- (रूपये चार लाख)

यदि मृत्यु आपदा के समय होती है और आपदा प्रबंधन के द्वारा अनुदान दिया गया है, तो वैसी स्थिति में बोर्ड द्वारा मात्र ₹1,00,000/- (रूपये एक लाख) देय है।

- **आवश्यक कागजात-**

  (i) निबंधित श्रमिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र।

  (ii) आश्रित / पारिवारिक सूची प्रमाण-पत्र |

  (iii) आश्रित / नामित का बैंक खाता संख्या।

  (iv) आश्रित / नामित का आधार संख्या ।

  (v) दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में -

    (a) प्राथमिकी रिपोर्ट एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।

    (b) आपदा प्रबंधन विभाग से लाभ नहीं प्राप्त होने का शपथ पत्र

  (vi) पंचनामा (यदि प्राथमिकी / पोस्टमॉर्टम नहीं हो अथवा जहाँ यह लागू हो)

दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता

- **योग्यता** - सदस्यता ।
- **योजना की राशि** - ₹5000/- (रूपये पांच हजार) निबंधित निर्माण श्रमिक के आश्रित को ।
- **आवश्यक कागजात-**

  (i) निबंधित श्रमिक का मृत्यु प्रमाण-पत्र।

  (ii) आश्रित / पारिवारिक सूची प्रमाण-पत्र |

  (iii) आश्रित / नामित का बैंक खाता संख्या।

  (iv) आश्रित / नामित का आधार संख्या ।

  (v) दुर्घटना मृत्यु की स्थिति में प्राथमिकी रिपोर्ट एवं पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट।

पारिवारिक पेंशन

- **योग्यता -** मृत पेंशनधारी का / की पति/पत्नी ।
- **योजना की राशि -** पेंशनधारी को प्राप्त राशि का पचास प्रतिशत या ₹100/- (रूपये एक सौ) में से जो अधिक हो।
- **आवश्यक कागजात-**
    (i) पेंशनधारी का मृत्यु प्रमाण-पत्र ।
    (ii) नामित/आश्रित का आधार कार्ड।
    (iii) आश्रित / पारिवारिक सूची प्रमाण-पत्र ।
    (iv) आवेदक/ आवेदिका का स्वघोषित जीवन प्रमाण-पत्र।

विकलांगता पेंशन

- **योग्यता -** एक वर्ष की सदस्यता ।
- **योजना की राशि -** स्थायी पूर्ण निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त ₹75,000/- (रूपये पचहत्तर हजार) तथा ₹1,000/- (रूपये एक हजार) प्रतिमाह पेंशन । स्थायी आंशिक निःशक्तता की स्थिति में एकमुश्त ₹50,000/- (रूपये पचास हजार)।
- **आवश्यक कागजात-**
    (i) सिविल-सर्जन द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण-पत्र
    (ii) सरकारी अस्पताल की चिकित्सा की विवरणी, भर्ती की तिथि एवं छुट्टी से संबंधित प्रमाण-पत्र।

वार्षिक वस्त्र सहायता योजना

- **योग्यता** - सदस्यता ।
- **योजना की राशि** - ₹2,500/- (रूपये दो हजार पाँच सौ) प्रतिवर्ष ।

नोटः- इस योजना की राशि का भुगतान बोर्ड मुख्यालय स्तर से DBT के माध्यम से किया जाता है।

स्थापनाओं का पंजीयन

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तें विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा-7 के प्रावधानानुसार निर्माण श्रमिकों के नियोजन करने वाली सभी स्थापनाओं को सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के यहां रजिस्ट्रीकरण कराना अनिवार्य किया गया है। स्थापनाओं के रजिस्ट्रीकरण संबंधी प्रावधान के पीछे उद्देश्य यह है कि निमार्ण श्रमिकों के अस्थाई नियोजन तथा जोखिमपूर्ण कार्य की स्थिति में नियोजक द्वारा सुरक्षा के उचित उपाय एवं दायित्व वहन करने संबधी प्रावधानों को विनियमित किया जा सके।

जिलों में स्थापनाओं के पंजीयन के लिए पंजीयन पदाधिकारी श्रम अधीक्षक हैं। सभी नियोजको/संवेदकों का दायित्व है कि निर्माण कार्यों से जुड़े स्थापनाओं का Online निबंधन www.serviceonline.org अथवा www.cessbocwbihar.in पोर्टल पर कराया जा सकता है।

बोर्ड के कार्यों के निमित्त नियुक्त पदाधिकारी

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उनके पदनाम के समक्ष अंकित कार्यों के लिए नियुक्ति की गयी है -

1. उपकर निर्धारण पदाधिकारी	-	सभी उप श्रमायुक्त
2. उपकर संग्रहक	-	सभी श्रम अधीक्षक तथा सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
3. अपीलीय पदाधिकारी	-	श्रमायुक्त, बिहार (सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिए)

भवन एव अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्ते विनियमन) अधिनियम, 1996 के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत निम्नलिखित पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत उनके पदनाम के समक्ष अंकित कार्यो के लिए नियुक्ति की गयी है -

- **स्थापनाओं का पंजीयन -**

1. पंजीयन अधिकारी	-	सभी श्रम अधीक्षक
2. अपीलीय पदाधिकारी	-	श्रमायुक्त/संयुक्त श्रमायुक्त (सम्पूर्ण बिहार राज्य के लिए)

- **लाभार्थियों का पंजीयन**

1. पंजीयन अधिकारी	-	सभी श्रम अधीक्षक सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
2. अपीलीय पदाधिकारी	-	सभी सहायक श्रमायुक्त

- **निर्माण स्थल पर स्वास्थ्य सुरक्षा एवं अन्य मानकों के लिए -**

1. मुख्य निरीक्षक	-	श्रमायुक्त, बिहार।
2. निरीक्षक	-	श्रमायुक्त, बिहार।
	-	सभी संयुक्त श्रमायुक्त,
	-	सभी उप श्रमायुक्त,
	-	सभी सहायक श्रमायुक्त,
	-	सभी श्रम अधीक्षक,
	-	सभी कारखाना निरीक्षक तथा
	-	सभी श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी

कार्यालय पता :

बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नियोजन भवन, पटना-800001

दूरभाष-0612-2525558

Email-biharbhawan111@gmail.com

माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग कोषांग

दूरभाष: 0612-2528450

Website-www.bocw.bihar.gov.in